



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 826]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 826]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि.1125(अ).**—ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 829 (अ), तारीख 4 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन के अवसान के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उस राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 4 सितंबर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 35) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 में,—  
(i) नियम 17 के,—

- (क) उपनियम (1) में,—
- (l) “तीन प्रतियों में” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (ll) “उस क्षेत्र में, जिसमें स्थापन अवस्थित है, रजिस्ट्रीकृत कराना चाहा गया है, के रजिस्ट्रीकृत अधिकारी को” शब्दों के स्थान पर, “भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय की श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदाय ई-पेमेंट द्वारा किया जाएगा।”;
- (ग) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;
- (घ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “(4) आवेदक द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट ई-आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर स्वचालित पावती उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित होगी।”

(ii) नियम 18 के,-

- (क) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अनुदत्त वेब-पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, कतिपय श्रम विधि नियम, 2017 के अधीन प्रारूपों और रिपोर्टों के सुव्यवस्थीकरण के साथ उपाबद्ध प्ररूप 1 में होगा;”

- (ख) उपनियम (4) में, “के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को” शब्द के स्थान पर, “नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर ऑनलाइन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) नियम 19 के उपनियम (1) में, “सभी बातों में” शब्दों के स्थान पर, “उसके विचारों को ऑनलाइन” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) नियम 20 के,-

- (क) उपनियम (1) में,—

(l) “प्रधान नियोजक को संदाय” शब्दों के पश्चात् “ई-पेमेंट द्वारा” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ll) “और ऐसे निक्षेप दर्शित करने वाला मांगदेय ड्राफ्ट प्रस्तुत करने” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(v) नियम 21 के,-

- (क) उपनियम (1) में,—

(l) “तीन प्रतियों में” शब्दों के स्थान पर, “नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर ऑनलाइन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ll) “उस क्षेत्र में, जिसमें स्थापन अवस्थित है, अनुज्ञापन अधिकारी के सम्बन्ध में, जिसका वह ठेकेदार है” का लोप किया जाएगा

- (ख) उपनियम (2) में, “के अनुसार संलग्न” शब्दों के स्थान पर “की एक प्रति अपलोड करके संलग्न” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

- (ग) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

- (घ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(4) आवेदक द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट ई-आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर स्वचालित पावती नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित होगी।”

- (ङ) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर निक्षेप की प्रतिभूति और नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संदाय ई-पेमेंट द्वारा किया जाएगा।”;

(vi) नियम 23 में, उपनियम (2) के खंड (ii) में “आवेदक को संसूचित” शब्दों के पश्चात्, “नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन” शब्द, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।”;

(vii) नियम 24 के,—

(क) उपनियम (1) में, “निक्षेप किया जाएगा” शब्दों के पश्चात् “ई-पेमेंट द्वारा किया जाएगा” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (1क) में,-

(I) “सकेगा” शब्दों के पश्चात्, “ऑनलाइन” शब्द रखा जाएगा ;

(II) “केवल शेष रकम” शब्दों के पश्चात्, “ई-पेमेंट द्वारा” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा;

(viii) नियम 25 के उपनियम (1) में, “धारा 12” शब्द और अंक के स्थान पर, “इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित” शब्द रखे जाएंगे;

(ix) नियम 28 के,-

(क) उपनियम (2) में, “के अनुज्ञापन अधिकारी को” शब्दों के स्थान पर, “नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर ऑनलाइन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) के,—

(I) खंड (i) में, “के लिए मांगदेय ड्राफ्ट” शब्दों के स्थान पर, “ई-पेमेंट द्वारा” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(II) खंड (ii) में, “अपेक्षित मांगदेय ड्राफ्ट देने वाले आवेदक पर, शब्दों के स्थान पर, “आवेदक द्वारा अपेक्षित रकम की संदाय पर” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (4) में, “के आवेदक को” शब्दों के स्थान पर, “नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(x) नियम 29 के,-

(क) उपनियम (1) में, “के अनुज्ञापन अधिकारी को” शब्दों के स्थान पर, “नियम 17 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब-पोर्टल पर ऑनलाइन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, “तीन प्रतियों में” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xi) नियम 38 का लोप किया जाएगा।

[सं. एस-16011/04/2017-एलडब्ल्यू (ए)(i)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण)

**टिप्पण:** ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 191 द्वारा तारीख 10 फरवरी, 1971 को प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1594 (अ) द्वारा तारीख 29 दिसम्बर, 2017 को अंतिम संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15<sup>th</sup> November, 2018

**G.S.R.1125(E).**—Whereas, a draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, was published, as required by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 829 (E), dated the 4<sup>th</sup> September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette in which the said notification was published was made available to the public on the 4<sup>th</sup> September, 2018;

And whereas, no objections and suggestions were received from public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, hereby makes the following rules, further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, —

(i) in rule 17,-

(a) in sub-rule (1),-

(I) the words “in triplicate”, shall be omitted;

(II) for the words “to the registering officer of the area in which the establishment sought to be registered is located”, the words “online on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment in the Government of India” shall be substituted;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The payment of fees for the registration of the establishment referred to in sub-rule (1) shall be made by e-payment.”;

(c) sub-rule (3) shall be omitted;

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) On submission of e-application referred to in sub-rule (1) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the web-portal specified in the said sub-rule.”

(ii) in rule 18,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(1) The certificate of registration granted under sub-section (2) of section 7 generated electronically on the web-portal shall be in Form I annexed to the Rationalisation of Forms and Reports under Certain Labour Laws Rules, 2017.”

(b) in sub-rule (4), for the words “to the registering officer”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 17” shall be substituted;

(iii) in rule 19, in sub-rule (1), after the words “in all respects”, the words “, then, by recording his observations online” shall be inserted;

(iv) in rule 20,-

(a) in sub-rule (1),—

- (I) after the words “principal employer to pay”, the words “by e-payment” shall be inserted;
- (II) the words “and to produce the demand draft showing such deposit” shall be omitted;

(v) in rule 21,-

(a) in sub-rule (1),-

- (I) for the words “in triplicate”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 17” shall be substituted;
- (II) the words “to the licensing officer of the area in which the establishment, in relation to which he is the contractor, is located” shall be omitted;

(b) in sub-rule (2), for the words “accompanied by a”, the words “accompanied by uploading a copy of the” shall be substituted;

(c) sub-rule (3) shall be omitted;

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) On submission of e-application referred to in sub-rule (1) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 17.”;

(e) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The deposit of security at the rates specified in rule 24 and the payment of fees at the rates specified in rule 26 in respect of application referred to in sub-rule (1) shall be made by e-payment.”;

(vi) in rule 23, in sub-rule (2), in clause (ii), after the words “communicated to the applicant”, the words, brackets and figures “online through the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 17” shall be inserted.”;

(vii) in rule 24,-

(a) in sub-rule (1), after the words “shall be deposited”, the words “by e-payment” shall be inserted;

(b) in sub-rule (1A),-

- (I) after the words “may, on an”, the word “online” shall be inserted;
- (II) after the words “only the balance amount”, the word “by e-payment” shall be inserted;

(c) sub-rule (2) shall be omitted;

(viii) in rule 25, in sub-rule (1), after the words and figures “section 12 shall be”, the words “generated electronically” shall be inserted;

(ix) in rule 28,—

(a) in sub-rule (2), for the words “to the licensing officer”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 17,” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3),-

- (I) in clause (i), for the words “a demand draft for”, the words and letter “by e-payment” shall be substituted;

(II) in clause (ii), for the words “on the applicant furnishing the requisite demand draft”, the words “on payment of the requisite amount by the applicant” shall be substituted;

(c) in sub-rule (4), after the words “to the applicant”, the words, brackets and figures “online through the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 17” shall be inserted;

(x) in rule 29,—

(a) in sub-rule (1), for the words “to the licensing officer”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 17” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), the words “in triplicate” shall be omitted;

(xi) rule 38 shall be omitted.

[No. S-16011/04/2017-LW(A)(i)]

AJAY TEWARI Jt. Secy. Director General (Labour Welfare)

**Note.**— The Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 191, dated the 10th February, 1971 and lastly amended vide notification number G.S.R. 1594 (E), dated the 29<sup>th</sup> December, 2017.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1126(अ).**—अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 830 (अ), तारीख 4 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन के अवसान के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उस राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनसाधारण को 4 सितंबर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केन्द्रीय नियम, 1980 में, —

(i) नियम 3 में, —

(क) उपनियम (1) में, —

(i) "तीन प्रतियों में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "उस क्षेत्र में, जिसमें स्थापन अवस्थित है, रजिस्ट्रीकृत कराना चाहा गया है के रजिस्ट्रीकृत अधिकारी को" शब्दों के स्थान पर, "भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर आनलाइन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदाय ई-पेमेंट द्वारा किया जाएगा।";

(ग) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) आवेदक द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट ई-आवेदन को प्रस्तुत किए जाने पर स्वचालित पावती उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होगा।";

(ii) नियम 4 में,- —

(क) उपनियम (1) में, —

(i) "जहां रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्थापना के रजिस्ट्रों, वह प्रधान नियोजक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र इलैक्ट्रॉनिक जनित होगा" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) "2017" अंकों के पश्चात् "और आनलाइन आवेदक को उपलब्ध होगी" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) में, "रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को" शब्दों के स्थान पर, "नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर आनलाइन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) नियम 5 के, उपनियम (1) में, "सभी संबंधों में" शब्दों के पश्चात् "तब रिकार्डिंग द्वारा उसके आनलाइन अवलोकन" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iv) नियम 6 में,—

(क) उपनियम (1) में, —

(i) "प्रधान नियोजन को निक्षेप" शब्दों के पश्चात् "ई-पेमेंट द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "और ऐसे निक्षेप दर्शित करने वाला मांगदेय ड्राफ्ट प्रस्तुत करने" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(v) नियम 7 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) "तीन प्रतियों में" शब्दों के स्थान पर "नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर आनलाइन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) "उस क्षेत्र में, जिसमें भर्ती की गई है, क्षेत्र के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले अनुज्ञापन अधिकारी को" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) में, —

(i) "किया जाएगा" शब्दों के पश्चात् "नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर आनलाइन" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "उस क्षेत्र में, जिसमें स्थापना स्थित है, क्षेत्र के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले अनुज्ञापन अधिकारी को" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (3) में,—

(i) खंड (i) में, "के अनुसार संलग्न" शब्दों के स्थान पर "की एक प्रति अपलोड करके संलग्न" शब्द रखा किया जाएगा ;

(ii) खंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) आवेदक द्वारा उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन के प्रस्तुत किए जाने पर स्वचालित पावती नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होगा।"

(ङ) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(5) नियम 10 में निर्दिष्ट प्रतिभू के निक्षेप और उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन के लिए नियम 12 में विनिर्दिष्ट मूल्य पर फीस या संदाय ई-पेमेंट द्वारा किया जाएगा।";

(vi) नियम 9 में, उपनियम (2) के खंड (ii) में, "आवेदक को संसूचित" शब्दों के पश्चात् "नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाइन" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।";

(vii) नियम 10 में,—

(क) उपनियम (2) में, "ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना है" शब्दों के पश्चात्, "ई-पेमेंट द्वारा" शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में,—

(i) "सकेगा" शब्दों के पश्चात् "आनलाइन" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "केवल शेष रकम" शब्दों के पश्चात् "ई-पेमेंट द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(viii) नियम 11 के उपनियम (1) में "धारा 8" शब्द और अंक के स्थान पर "इलैक्ट्रॉनिक रूप से जनित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ix) नियम 13 में,—

(क) उपनियम (2) में, "के अनुज्ञापन अधिकारी को" शब्दों के स्थान पर, "नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर आनलाइन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) के खंड (1) में "रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट के लिए" शब्दों के स्थान पर "ई-पेमेंट द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (4) में, "आवेदक को" शब्दों के पश्चात्, "नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाइन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(x) नियम 14 के,—

(I) उपनियम (1) में, "के अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन किया जा सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "नियम 3 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जाएगा" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(II) उपनियम (2) में, "तीन प्रतियों में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xii) नियम 20 का लोप किया जाएगा।

[सं. एस-16011/04/2017-एलडबल्यू (ए)(ii)]

अजय तिवारी, संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण)



**टिप्पणः** अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) केंद्रीय नियम, 1980, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 513(अ) द्वारा तारीख 11.08.1980 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 29 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1595(अ) द्वारा किया गया।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2018

**G.S.R. 1126(E).**—Whereas, a draft of certain rules further to amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, was published, as required by section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 830 (E), dated the 4th September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette in which the said notification was published was made available to the public on the 4<sup>th</sup> September, 2018;

And whereas, no objections and suggestions were received from public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979), the Central Government, hereby makes the following rules, further to amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980,-

(i) in rule 3,-

(a) in sub-rule (1),-

(I) the words “in triplicate”, shall be omitted;

(II) for the words “to the registering officer of the area in which the establishment sought to be registered is located”, the words “online on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment in the Government of India” shall be substituted;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The payment of fees for the registration of the establishment referred to in sub-rule (1) shall be made by e-payment.”;

(c) sub-rule (3) shall be omitted;

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) On submission of e-application referred to in sub-rule (1) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the web-portal specified in the said sub-rule.”;

(ii) in rule 4,-

(a) in sub-rule (1),-

(I) for the words “Where the registering officer registers of establishment, he shall issue to the principal employer a certificate of registration”, the words, brackets and figures “The certificate of registration issued under sub-section (2) of section 4 shall be generated electronically” shall be substituted;

- (II) after the figures “2017”, the words “and shall be made available to the applicant online” shall be inserted;
- (b) in sub-rule (3), for the words “to the registration officer”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 3” shall be substituted;
- (iii) in rule 5, in sub-rule (1), after the words “in all respects”, the words “, then, by recording his observations online” shall be inserted;
- (iv) in rule 6,-
- (a) in sub-rule (1),-
- (I) after the words “principal employer to deposit”, the words “by e-payment” shall be inserted;
- (II) the words “and to produce the demand draft showing such deposit” shall be omitted;
- (v) in rule 7,-
- (a) in sub-rule (1),-
- (I) for the words “in triplicate”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 3” shall be substituted;
- (II) the words “to the licensing officer having jurisdiction in relation to the area wherein the recruitment is made” shall be omitted;
- (b) in sub-rule(2),-
- (I) after the words “shall be made”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 3” shall be inserted;
- (II) the words “to the Licensing officer having jurisdiction in relation to the area wherein the establishment is situated” shall be omitted;
- (c) in sub-rule (3),-
- (I) in clause (i), for the words “accompanied by a”, the words “accompanied by uploading a copy of the” shall be substituted;
- (II) clause (ii) shall be omitted;
- (d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(4) On e-submission of the application referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 3.”;
- (e) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(5) The deposit of security referred to in rule 10 and the payment of fees at the rates specified in rule 12 for application referred to in sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be made by e-payment.”;
- (vi) in rule 9, in sub-rule(2), in clause (ii), after the words “communicated to the applicant”, the words, brackets and figures “online through the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 3” shall be inserted.”;
- (vii) in rule (10),-
- (a) in sub-rule (2), after the words “to be furnished by such person”, the words “by e-payment” shall be inserted;
- (b) in sub-rule (3),-

- (I) after the words “may on an”, the word “online” shall be inserted;
- (II) after the words “only the balance amount”, the words and letter “by e-payment” shall be inserted;
- (viii) in rule 11, in sub-rule (1), after the words and figure “section 8 shall be”, the words “generated electronically” shall be inserted;
- (ix) in rule 13,-
- (a) in sub-rule (2), for the words “to the licensing officer”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 3”, shall be substituted;
- (b) in sub-rule(3),in clause(i), for the words “ a crossed demand draft for” , the words “by e- payment”, shall be substituted;
- (c) in sub-rule (4),after the words “to the applicant”, the words, brackets and figures “online through the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 3” shall be inserted;
- (x) in rule 14,-
- (I) in sub-rule (1), for the words “may apply to the licensing officer”, the words, brackets and figures “shall apply online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 3” shall be substituted;
- (II) in sub-rule(2), the words “in triplicate” shall be omitted;
- (xi) rule 20 shall be omitted.

[No. S-16011/04/2017-LW(A)(ii)]

AJAY TEWARI, Jt. Secy. Director General (Labour Welfare)

**Note:** The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 513(E), dated the 11<sup>th</sup> August, 1980 and lastly amended vide notification number G.S.R. 1595(E), dated the 29<sup>th</sup> December, 2018.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2018/भाद्र 13, 1940

No. 612]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2018/BHADRA 13, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

**सा.का.नि. 828(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात् भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 में, -

(i) नियम 23 में,-

(क) उपनियम (1) में,-

(i) “तीन प्रतियों में” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) “अधिनियम की धारा (6) के अधीन नियुक्त उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किया जाएगा, जिसमें कि स्थापन द्वारा भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है” शब्दों के स्थान पर “भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर आनलाईन किया जाएगा।” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप-नियम (1)में निर्दिष्ट स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदाय ई-भुगतान द्वारा किया जाएगा।”;

(ग) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(घ) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) आवेदक द्वारा उप-नियम (1) में निर्देशित ई-आवेदन के प्रस्तुत करने पर, उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर स्वचालित अभिस्वीकृति इलैक्ट्रानिक रूप से जनित की जाएगी”;

(II) नियम -24 में,-

(क) उप-नियम (1) में ,-

(I) “आवेदक को” शब्दों के पश्चात् “नियम 23 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर आन लाइन” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) “पंद्रह” शब्द के स्थान पर “सात” शब्द रखा जाएगा ;

(III) “दिए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र” शब्दों के पश्चात् “इलैक्ट्रानिक रूप से जनित” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-नियम (3) में “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को” शब्दों के स्थान पर “नियम 23 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर आन लाईन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(III) नियम 25 में, उपनियम (1) में “ऐसे नियोजक से” शब्दों के पश्चात् “ई-संदाय द्वारा” शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(IV) नियम 26 के उप-नियम (2) में, “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को” शब्दों, के स्थान पर “नियम 23 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल पर आनलाइन” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(V) नियम-33 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एस-16011/04/2017-एल डबल्यू (ए)(iii)]

राजित पुनहानी, संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम कल्याण)

**टिप्पणी :** भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) द्वारा तारीख 19 नवंबर, 1998 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 29 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1596 (अ) द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2018

**G.S.R. 828(E).**—In exercise of the powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), the Central Government hereby makes the following rules, after consultation with the expert committee, further to amend the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998, namely:-

1. (1) These rules may be called the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998,-

(i) in rule 23, -

(a) in sub-rule (1),-

(I) the words “in triplicate” shall be omitted;

(II) for the words “to the registering officer of the area appointed under section 6 of the Act in which the building or other construction work is to be carried on by the

establishment”, the words “online on the Shram Suvidha Portal of the Ministry of Labour and Employment in the Government of India” shall be substituted;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2)The payment of fees for the registration of the establishment referred to in sub-rule (1) shall be made by e-payment.”;

(c) sub-rule (3) shall be omitted;

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) On submission of e-application referred to in sub-rule (1) by the applicant, an automated acknowledgement shall be generated electronically on the web-portal specified in the said sub-rule.”;

(ii) in rule 24,-

(a) in sub rule (1),-

(I) after the words “to the applicant”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in the sub-rule (1) of rule 23” shall be inserted;

(II) for the word “fifteen”, the word “seven” shall be substituted;

(III) after the words “by the registering officer shall be”, the words “generated electronically” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), for the words “the registering officer”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 23” shall be substituted;

(iii) in rule 25, in sub-rule (1), after the words “such employer to pay additional sums”, the words and letter “by e-payment” shall be inserted;

(iv) in rule 26, in sub-rule (2), for the words “to the registering officer”, the words, brackets and figures “online on the web-portal specified in sub-rule (1) of rule 23” shall be substituted;

(v) rule 33 shall be omitted.

[F. No. S-16011/04/2017-LW (A)(iii)]

RAJIT PUNHANI, Jt. Secy. and Director-General (Labour Welfare)

**Note :** The Building and Other Construction Workers’ (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 689(E), dated the 19th November, 1998 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1596(E), dated the 29<sup>th</sup> December, 2017.